न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 546 सन 2018

अनवान :–

1. दलीप पूरी पुत्र हरचन्द पूरी जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर।

बनाम

1. हरचन्द पुरी पुत्र गोविन्द पूरी जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर
2. प्रताप पूरी पुत्र हरचन्द पूरी जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 06.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा डूमासर के खाता संख्या 310/294 के खसरा न0 367/3 की 1.7960हैक जिसके हरचन्द पूरी पुत्र गोविन्दपूरी खातेदार काश्तकार थे इसी प्रकार रोही मौजा अरडकी के खताा संख्या 263/267 के खसरा न0 415 की 5.2230हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से हरचन्द पुरी 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे इसी प्रकार रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 76/77 की कुल 6.6900हैक भूमि हरचन्दपुरी खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा गोविन्दपुरी के देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई ओर वाद के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा डूमासर के खाता संख्या 310/294 की कुल 1.7900हैक , व रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 263/267 की कुल 5. 2230हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 76/77 की कुल 6.6900हैक भूमि में सयूक्त तौर से 1/5 हिस्सा भूमि आई है विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

5.2230 हैक्ट भूमि स्थित है।

....2.....पर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी ने भी वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी व प्रतिवीद संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा डूमासर के खाता संख्या 310/294 की कुल 1.7900हैक , व रोही मौजा अरड़की के खाता संख्या 263/267 की कुल 5.2230हैक भूमि में सयुक्त तौर से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 76/77 की कुल 6.6900हैक भूमि में सयूक्त तौर से 1/5 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

5.2230 हैक्ट भूमि स्थित है।